अपील सूचना अधिकार संख्या 50/2017 अनवानी महेश कुमार पुत्र गोपीराम निवासी गणेशगढ़ , श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31–07–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री महेश कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री महेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.04.17 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> उक्त विषयनुसार निवेदन है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर (राज0) ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व 2014/1887 में अति. जिला कलक्टर सूरतगढ को लिखा था कि आवंटी कानाराम पुत्र रूपाराम कुम्हार साकिन गणेशगढ ने निरस्त राशि जमा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र मार्फत लीलाधर 28.12.04 को विकास शिवर में प्राप्त हुआ था जिस पर पटवारी हल्का ने पूछताछ की आदि आदि जिस पर 31.12.04 को समस्त बकाया राशि जमा कराने के आदेश दिये गये। अतः आवंटी कानाराम पुत्र रूपाराम के रकबे की किश्त जमा कराने के उपखण्ड अधिकारी घड़साना के आदेश क्रमांक राजस्व 2004/1732 दिनांक 31.12.2004 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवावें।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी से चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपना प्रतिवेदन सं0 1553 दिनांक 17.07.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 917 दिनांक 19.04.17 के द्वारा प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्र सं0 917 दिनांक 19.04.17 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही गई सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
> संलग्नः– उपरोक्तानुसार

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने उक्त पत्र सं0 917 दिनांक 19.04.17 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1586-87
18-8-17

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर